

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या : 119 / 2015

रीख दायर : 31.07.2015

अनवान

1. भंवरलाल पिता नगजीराम जाति सुनार निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।

वादी...

बनाम

1. रामेश्वर पिता काना जाति जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़ मृतक जरिये वैद्य प्रतिनिधि
  - 1.1 मु0 रामू पत्नि रामेश्वर जाति जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।
  - 1.2 देबीलाल पिता रामेश्वर जाति जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।
  - 1.3 प्रकाश पिता रामेश्वर जाति जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. गोविन्दराम पिता श्रीकिशन जाति सुनार निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण...

उपस्थित :-

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता वादी)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-: निर्णय :-

दिनांक : 09.12.2022

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री किया जाता है कि ग्राम खटवाड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़ की भुमि आराजी नम्बर 3396/2077 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से प्रतिवादी स0 1 (1.1, 1.2, 1.3) को एवं आराजी नम्बर 3398/2105 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 3399/2106 रकबा 12 बिस्वा से प्रतिवादी स 2 को बेदखल किया जाकर भुमि का कब्जा वादीगण को सुपूर्द किया जावे। तथा उक्त भुमि पर प्रतिवादीगण पुनः अवैध कब्जा न करे इस आशय की स्थायी निणेधाज्ञा भी जारी किए जाने का आदेश दिया जाता है। हर्जा खर्चा मुकदमात फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज 09.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रुपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4. ....			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
5. प्लीडर की फीस					
6. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			5. आदेशिका को तामील		
7. कमिश्नर की फीस			6. कमिश्नर की फीस		
8. आदेशिका की तामील					

जय कौशिक (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ़